न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –38/2018

अपीलाण्टस्	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. मोहनराम पुत्र हीराराम 2. डांवरराम पुत्र हीराराम समस्त जाति जाट निवासीगण कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर		तहसीलदार खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्टस् की ओर से वकील श्री पुरखाराम।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 09-07-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2017 सरकार बनाम मोहनराम वगैरह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.2.2018 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय अपीलाधीन पारित करने में भूल की है। गत खसरा नम्बर 802 रकबा 9 बीघा कांटिया अपीलान्ट से पहले पूर्व खातेदारान धर्माराम व करणाराम खातेदार दर्ज रहते चले आये थे। उक्त खसरा की पूर्वी तरफ की भूमि 2 बीघा कब्जे काश्त के आधार पर पूर्वी तरफ के खेत गत खसरा नम्बर 801 के शामिल की जाकर हाल खसरा नम्बर 1343 रकबा 38.08 बीघा कायम हो गये, जिस बाबत कोई विवाद नहीं है। शेष रकबा 7 बीघा गत खसरा नम्बर 802 के राजस्व नक्शें की सीमाओं के अनुसार 7 बीघा उतरी पश्चिमी रकबे को गलत तौर से बिना किसी अधिकार के गत खसरा नम्बर 783 व अन्य खसरा नम्बर के रकबा को शामिल करते हुए गत खसरा नम्बर 802 रकबा 7 बीघा को नये खसरा नम्बर 1288 में मिलाकर 137.12 बीघा का नया खसरा कायम कर दिया। पूर्व खातेदारान को जब गत 802 की 7 बीघा भूमि जो साबिका नक्शे में दर्ज है, गलत तौर से खसरा नम्बर 1288 में मिला देने की जानकारी हुई तो सहायक कलक्टर नागौर के न्यायालय में सभी तथ्य बतलाते हुए राजस्व वाद प्रस्तुत किया व राजस्व वाद संख्या 257/70 के निर्णय के द्वारा गत खसरा नम्बर 802 की राजस्व नक्शा की सीमाओं के अनुसार ही धर्माराम करनाराम के खातेदारी की घोषित कर दी तथा माफिक निर्णय नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया, मगर राजस्व के नये नक्शा में जो हल्का पटवारी के पास रहता है दुरूस्ती करते समय गत खसरा नम्बर 802 की पश्चिमी उतरी सीमा का पूर्वानुसार दुरूस्त नहीं किया व कई वर्षों जब दुरूस्ती की तो पश्चिमी सीमा पूर्वानुसार साबिका खसरा नम्बर 802 की सीमाओं की तरह दर्ज नहीं की। हाल राजस्व खसरा नम्बर 1838/1288 रकबा 7 बीघा की पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 1349 व 1344 के बीच की

कलक्टर, नागौर

सीमा के उतरी तरफ बीच के बिन्दू से सीमा दर्ज करने के बजाय खसरा नम्बर 1344 की सीमा से कुछ दूरी पर पूर्वी तरफ गलत दर्ज कर दी, जिसकी जानकारी खसरा नम्बर 1344 के सह खातेदार बीजाराम को हुई, जिसने नक्शा की गलती का गलत लाभ उठाकर अपीलान्ट का अतिकमण नहीं होते हुए भी 06 बिस्वा अतिकमण गलत दर्ज किया है। अपीलान्टस् खसरा नम्बर 1833/1288 के केता खातेदार है व 7 बीघा भूमि पर ही गत खसरा नम्बर 802 की सीमानुसार ही काबिज रहते हुए काश्त करते चले आये है। कोई कब्जा काश्त 7 बीघा से अधिक मौके पर नहीं है। हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने खसरा नम्बर 1288/1833 का मौके पर भू माप किये बिना ही गलत रिपोर्ट की है, जिससे निर्णय जैर अपील निरस्त करने योग्य है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पुस्त पर बताये गये नजरी नक्शा को देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार हाल खसरा नम्बर में गलत की गई व बताई गई तरमीम को देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि हाल खसरा नम्बर 1344 व 1349 के बीच की सीमा के Straight सीध में सीधी उत्तर की तरफ सीमा को नहीं दर्शाकर उससे पूर्व की तरफ कुछ दूरी पर गलत तौर से दर्शायी है। जबकि मौका पर अपीलान्ट के कदीमी कब्जे काश्त के अनुसार ही मौका की स्थिति के अनुसार ही तरमीम करनी चाहिए थी अर्थात प्रीवियस सेटलमेन्ट एंट्री शूड बी रिपिटेड जो नहीं करने से भी निर्णय अपीलाधीन निरस्तनीय है।

हल्का पटवारी व निरीक्षक भू अभिलेख एवं तहसीलदार को लेण्ड रिकार्ड को नियमानुसार सही व सुरक्षित रखने तथा अभिलेख में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने व नामान्तरकरण भरते समय ही उसकी पुरत पर हर सूरत में नक्शा बनाना ही चाहिए, जिससे कोई काश्तकार/खातेदार परेशान नही हो। ऐसे निर्देश कई बार सभी जिलाधीश महोदय, एसडीओ, सहायक कलक्टरों एवं तहसीलदारों को भी समय–समय पर राजस्व मण्डल द्वारा दिये जाते रहे है। मगर इसकी पालना कोई नहीं करता, का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्टस् ने अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2018 को निरस्त फरमाया जाने एवं गत नक्शा अनुसार/मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही तरमीम में सुधार करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी अपील के समर्थन में आर.आर.डी 1988 पेज 219, आर.आर.टी 2015(1) पेज 451 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपार्ट से अपीलान्टस् द्वारा वादगस्त अंगोर भूमि पर अवैध कब्जा साबित है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय जैर अपील पारित किया है। फर्द बेदखली रिपोर्ट दिनांक 30.1.2018 में खसरा नम्बर 1288 व 1833/1288 का राजस्व नक्शा लट्ठा में शुद्धिकरण हेतु वाद दायर है, का उल्लेख किया हुआ है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट स्वंय ने दिनांक 2.7.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड दुरूस्ती एवं तरमीम के संबंध में उपखण्ड अधिकारी खींवसर के न्यायालय में मामला विचाराधीन होना बताया है। इस प्रकार उक्त दायर मामले में न्यायालय द्वारा आदेश पारित के पश्चात, तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। हस्तगत प्रकरण में पटवारी कांटिया की भू अभिलेख निरीक्षक खींवसर से जॉच शुदा रिपोर्ट अनुसार अपीलान्टस् अतिकमी है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील सही होने का कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने अपीलान्टस् की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्त का सस्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम कांटिया के खसरा नम्बर 1288 किस्म गैर मुमकिन अंगौर रकबा 0.06 बीघा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कांटे की बाड़ व पट्टिया रोपकर अवैध कब्जा किया गया है, जो पटवारी

कांटिया की भू अभिलेख निरीक्षक खींवसर से जॉच शुदा रिपोर्ट 25.08.2017 एवं तत्श्चात मौका स्थिति रिपोर्ट बाबत पटवारी कांटिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक के पत्र दिनांक 8.1.18 से साबित है।

हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर मौके से अपीलान्टस् को बेदखल करने के संबंध में फर्द बेदखली रिपोर्ट दिनांक 30.1.2018 में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त खसरा नम्बर 1288 व 1833/1288 का राजस्व नक्शा लट्ठा में शुद्धिकरण हेतु वाद दायर है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 325/16 अथवा 375/16 सरकार बनाम मोहनराम व अन्य की निर्णित पत्रावली तलब करने का आवेदन दिनांक 02.07.2018 को पेश किया, जिसे आदेशिका दिनांक 02.07.2018 के अनुसार निर्णित किया जा चुका है। वकील अपीलान्ट के उक्त आवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड दुरूस्ती एवं तरमीम दुरूस्ती का मामला उपखण्ड अधिकारी खींवसर के न्यायालय में विचाराधीन है एवं जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो रखी है, जिसकी नकल प्रस्तुत करनी है, का उल्लेख भी अपने उक्त आवेदन में किया गया है। परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के संबंध में कोई आदेश/दस्तावेज आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड दुरूस्ती एवं तरमीम दुरूस्ती के संबंध में प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा उचित निर्णय/आदेश पारित होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार पटवारी कांटिया की भू अभिलेख निरीक्षक खींवसर से जॉच शुदा रिपोर्ट अनुसार अपीलान्टस् अतिक्रमी होना साबित होने से अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया किया विधि सम्मत नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर